

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1764 /2019

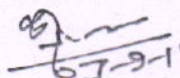
दिनांक 07.09.2019

श्रीमती अंजलि सिंह (RJ1191), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) को दिनांक 11.09.2019 से 08.03.2020 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (द्वितीय संतान) दिनांक 10.09.2019 एवं 09.03.2020 से 10.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती परवीन बानू (RJ0773), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) को श्रीमती अंजलि सिंह के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
- (2) श्रीमती परवीन बानू (RJ0773), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/56/2017/ 8551

दिनांक : 7.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 6284 दिनांक 30.08.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती अंजलि सिंह (RJ1191), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) ।
5. श्रीमती परवीन बानू (RJ0773), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) ।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग (भरतपुर) ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक / स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


7.9.2019
सहायक रजिस्ट्रार